

**निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक
कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द**

प्र0सं0 43/2019/प्रा0पत्र/

निर्णय दिनांक :- 08.08.2019

अनवान

1. छोगा पिता रामा जी जाति बलाई आयु बालिग निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. रोशनलाल पिता मांगु जी जाति बलाई आयु बालिग निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

—प्राथीगण

बनाम

1. कल्याण सिंह पिता माधोसिंह जाति राजपूत निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. दीपा पिता केसा जाति तेली निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. गोपालसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी लाल जी का खेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. भंवरसिंह पिता मांगुसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. रॉयल वाईट मार्बल ग्रेनाईट अनोपपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. चमन पिता मांगु जाति बलाई निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. महेन्द्र पिता मांगु जाति बलाई निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

—प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज.ले.एक्ट

उपस्थित :- 01. श्री राजेश समदानी

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम अनोपपुरा पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ़ में प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित हैं जिसके खाता नम्बर 52 के आराजी नम्बर 170 रकबा 1.14, आराजी नम्बर 171 रकबा 0.19, आराजी नम्बर 172 रकबा 0.03, आराजी नम्बर 173 रकबा 1.04, आराजी नम्बर 174 रकबा 0.18, आराजी नम्बर 175 रकबा 1.08, आराजी नम्बर 177 रकबा 0.11, आराजी नम्बर 178 रकबा 1.04, आराजी नम्बर 179 रकबा 0.11, आराजी नम्बर 373 रकबा 0.02, आराजी नम्बर 447 रकबा 2.12 कुल किता 11 कुल रकबा 11.06 बीघा भूमि स्थित हैं एवं खाता संख्या 33 के आराजी नम्बर 152/ रकबा 14.01, आराजी नम्बर 176/1 रकबा 2.09, आराजी नम्बर 180 रकबा 1.15, आराजी नम्बर 181 रकबा 0.14 कुल किता 4 कुल रकबा 4.19 बीघा भूमि स्थित हैं। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी होकर प्रार्थी का कब्जा कास्त हैं एवं इसका उपयोग - उपभोग भी प्रार्थी ने ही कर रखा है। प्रार्थी उक्त भूमि पर निर्वाध रूप से कास्त करता चला आ रहा है किन्तु प्रार्थी की उक्त भूमि क चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ड्री अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण जो प्रार्थी की भूमि से लगते हुये पड़ौसी हैं हर समय फसल बुवाई एवं कटाई के सीमा संबंधी विवाद करते रहते हैं जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमों के लिये विवश होना पडता है। मौके

210

सहायक कलेक्टर


रखता हैं एवं अनावश्यक विवाद पैदा करता हैं जबकि उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिये प्रार्थी उक्त भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। भूमि की पत्थरगढी हो जाने पर सीमा संबंधी जो विवाद हैं वह हमेशा के लिये समाप्त हो जाएगा और प्रार्थी अपनी भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। विपक्षीगण को जारी सम्मन तामील हो जाने पर अनुपस्थित व इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं। विपक्षी संख्या 4 को जारी सम्मन तामील होकर प्राप्त नहीं हुआ वकील प्रार्थी विपक्षी संख्या 4 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। विपक्षी संख्या 4 की विरुद्ध कार्यवाही ज़ोप की जाती हैं। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में बहस की विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन सीमा संबंधी विवाद करते रहते हैं। कभी प्रार्थी की भूमि को हांक लेते हैं कभी घास फसल वगैरह काट लेते हैं। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी हो जाती हैं तो सीमा संबंधी जो विवाद हैं वो हमेशा के लिये समाप्त हो जाएगा और प्रार्थी शान्तिपूर्वक उसकी भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें तथा प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। ग्राम अनोपपुरा पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ़ की जमाबन्दी उसके खाते की भूमि की पत्थरगढी करा सकता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम अनोपपुरा पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ़ के खाता नम्बर 52 के आराजी नम्बर 170 रकबा 1.14, आराजी नम्बर 171 रकबा 0.19, आराजी नम्बर 172 रकबा 0.03, आराजी नम्बर 173 रकबा 1.04, आराजी नम्बर 174 रकबा 0.18, आराजी नम्बर 175 रकबा 1.08, आराजी नम्बर 177 रकबा 0.11, आराजी नम्बर 178 रकबा 1.04, आराजी नम्बर 179 रकबा 0.11, आराजी नम्बर 373 रकबा 0.02, आराजी नम्बर 447 रकबा 2.12 कुल किता 11 कुल रकबा 11.06 बीघा भूमि स्थित हैं एवं खाता संख्या 33 के आराजी नम्बर 152/ रकबा 14.01, आराजी नम्बर 176/1 रकबा 2.09, आराजी नम्बर 180 रकबा 1.15, आराजी नम्बर 181 रकबा 0.14 कुल किता 4 कुल रकबा 4.19 बीघा भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्र जारी करा मौके पर पत्थरगढी करा मौके परचा पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।


सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला-राजसमन्द